न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, जिला – जालोर

क्रमांक / कोर्ट / 2026 / 196 दिनांक :– 05/06/2026

प्रेषित :–

तहसीलदार सांचौर

प्रार्थी		अप्रार्थी
दौलतसिंह पुत्र मगसिंह जाति राजपुत निवासी हरियाली तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।	**बनाम**	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर वगैरा।

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 07 / 2026 अन्तर्गत धारा 131,136 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956

निर्णय तारीख – 05.06.2026

विषयः–निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

उपरोक्त अनवान मामले में उक्त दिनांक को निर्णय पारित किया गया है। जिसकी प्रमाणित प्रति इस पत्र के संलग्न आपको पालना हेतु भिजवाई जा रही है। यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदि नहीं हो तो आप पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को शीघ्र प्रस्तुत करें।

संलग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

सांचौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 07/2026

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2026/63

प्रार्थी

दौलतसिंह पुत्र मगसिंह, जाति–
राजपुत, निवासी–हरियाली,
तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

अप्रार्थीगण

1 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर
2 करणसिंह पुत्र मगसिंह
3 खीवसिंह पुत्र लालसिंह
4 जबरसिंह पुत्र लालसिंह
5 भूपतसिंह पुत्र हरिसिंह
6 भैरूसिंह पुत्र हरिसिंह
7 मालमसिंह पुत्र हरिसिंह
8 अजीतसिंह पुत्र फतेहसिंह
9 गिरधारीसिंह पुत्र फतेहसिंह
10 विरेन्द्रसिंह पुत्र फतेहसिंह
जातियान–राजपुत, निवासीगण–
हरियाली, तह–सांचौर, जिला–जालोर
11 नरिंगाराम पुत्र मोबताराम, जाति
माली, निवासी–मोरसीम, तहसील–
बागोड़ा, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर जिला जालोर सत्यमेव जयते

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 23.02.2026

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेष बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 9 व 10 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमति डिम्पल माहेश्वरी उपस्थित।
5. अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 व 11 एकपक्षीय।

:– निर्णय :– दिनांक :– 5/6/2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा हरियाली में मुल खेत खसरा संख्या 1542 रकबा 3.35 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1548 रकबा 0.01 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1585 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1586 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1587 रकबा 8.93 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1588

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

रकबा 0.40 हैक्टेयर जुमले रकबा 12.85 हैक्टेयर का देशात कंवर पुत्री जयसिंह के नाम खातेदारी के आये हुए थे, देशांतकंवर द्वारा उक्त आराजी में खसरा संख्या 1588 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1587 रकबा 8.93 हैक्टेयर में से रकबा 6.17 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1542 रकबा 3.35 हैक्टेयर पूरा का पूरा कुल रकबा 9.87 हैक्टेयर भूमि का बैचान बाघसिंह वगैरह को करने पर बैचान दस्तावेज के आधार पर उक्त बैचानसुदा आराजी का तत्कालीन हल्का पटवारी ने म्यूटेशन संख्या 167 खरीदार के नाम भरकर तथा भूमि को तरमीम कर अप्रार्थी संख्या 1 ने म्यूटेशन स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में व लट्ठा ट्रैस में भूमि तरमीम कर खसरा संख्या 1588 में से खसरा संख्या 2166/1588, खसरा संख्या 1587 में से 2166/1587, 2927/2165, 2926/2165, 2925/2165 व खसरा संख्या 1542 से खसरा संख्या 2929/1542, खसरा संख्या 2928/1542 व नामान्तरकरण संख्या 167 से बंटवाड़ा जरिये 2115/1587 रकबा 6.17 हैक्टेयर नवसृजित किया गया परन्तु रकबा 6.17 हैक्टेयर के अनुपात नक्शा की आकृति न होकर आकृति में परिवर्तन होने से उसके अनुपात सभी खातेदारान् के राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबा के अनुपात नक्शा की आकृति न कर आकृति कम कर नक्शा में बदलाव कर दिया गया। नवसृजित किये गये उक्त आराजी में से 9.87 हैक्टेयर भूमि बैचान होने पर रकबा 2.98 हैक्टेयर भूमि शेष रही जो वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 8, 9, 10 के खातेदारी में दर्ज है, परन्तु बैचान दस्तावेज के आधार पर राजस्व एजेन्सी द्वारा भूमि तरमीम की गई तथा नक्शा लट्ठा में नक्शा बताया गया वह राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार तरमीम न कर तथा नक्शों की आकृति में फेरबदल कर मूल खसरा संख्या 1584, 1585, 1586, 1587, 1588 कुल रकबा 2.98 हैक्टेयर का नक्शा राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबा अनुसार तरमीम न कर नक्शा की आकृति में भूलवंश, त्रुटिवश आकृति को बड़ा कर दिया गया, जो उक्त भूल एक मानवीय त्रुटि होने से उसे सुधारा जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबा 2.98 हैक्टेयर के अनुपात से नक्शा की आकृति लट्ठा ट्रैश व आनलाईन में सुधार किया जाना न्यायसंगत होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है। अन्त में प्रार्थी ने इस्तदुआ चाही कि वांके सरहद मौजा हरियाली के मुल खसरा संख्या 1588, 1587, 1542 का बैचान के आधार पर व बंटवाड़ा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 167 व 250 के जरिये की गई गलत तरमीम की जगह व उसके आधार पर नक्शा की आकृति में किया गया फेरबदल को सुधार कर खसरा संख्या 1584, 1585, 1586, 1587, 1588 कुल रकबा 2.98 हैक्टेयर व उससे नवसृजित खसरा संख्या 2166/1588, 2166/1587, 2927/2165, 2926/2165, 2925/2165, 2929/1542, 2928/1542, 2115/1587 के नक्शों की आकृति राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबा अनुसार लट्ठा ट्रैस व आनलाईन नक्शा में सुधारने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 पर आदेश फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश करने के पश्चात प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 9 10 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया।

अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 व 11 नोटिस डाक से तामील होने के बावजूद हाजिर नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने क्रमांक/भू.अ./न्या.जा./2026/1145 दिनांक 27.03.2026 के संदर्भ में जांच रिपोर्ट (जवाब) पेश किया।

प्रकरण में उभपक्षकारान् के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उक्तानुसार स्वीकार फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 9 व 10 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की श्रेणी में नहीं आने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 23.03.2026 को तैयार की गई मौका जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि खातेदार देशान्तकंवर पुत्री जयसिंह के नाम जमाबंदी संवत् 2058–2061 के खाता नंबर 192 के अनुसार खसरा संख्या 1542, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588 कुल रकबा 12.85 हैक्टेयर की खातेदारी दर्ज थी। नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 09.11.2001 के जरिये देशान्तकंवर द्वारा खसरा संख्या 1542 रकबा 3.35 हैक्टेयर संपूर्ण, खसरा संख्या 1588 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1587 रकबा 8.93 हैक्टेयर में से 6.17 हैक्टेयर जिसका नवीन खसरा संख्या 2165/1587 सृजित हुआ तथा कुल रकबा 9.87 हैक्टेयर का बैचान बाघसिंह, हरिसिंह पिसरान् बेचरसिंह, तनेसिंह वल्द रिड़मलसिंह 1/3, जबरसिंह, खीवसिंह पिसरान् लालसिंह 1/3, दौलतसिंह, कर्णसिंह पिसरान् मगसिंह 1/3 कौम राजपुत के नाम खातेदारी दर्ज की गई। वक्त तरमीम लट्ठा में खसरा संख्या 1587 रकबा 8.93 हैक्टेयर में से खरीददार के नवीन खसरा संख्या 2165/1587 रकबा 6.17 हैक्टेयर की मौके अनुसार व रकबा अनुसार तरमीम करनी थी परन्तु 6.17 हैक्टेयर के बजाय लगभग 0.56 हैक्टैयर की कम तरमीम की गई तथा व ही तरमीम वर्तमान में आनलाईन नक्शे में भी हो गई जिसको राजस्व जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुसार 6.17 हैक्टेयर की जमाबंदी संवत् 2058–2061 के खसरा संख्या 2165/1587 की ऑनलाईन नक्शे अनुसार तरमीम की दुरूस्ती की जानी उचित है। वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 2165/1587 का सह खातेदारों के बंटवाड़ा होने से नवीन खसरा संख्या 2927/2165, 2926/2165 व 2925/2165 सृजित हुए है का अनुपातिक नक्शा अनुसार रकबा की तरमीम सही करना उचित है बाबत् मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

इसी प्रकार तहसीलदार (भू.अ.) सांचौर के क्रमांक / भू.अ. / न्या.जां. / 2026 / 1145 दिनांक 27.03.2026 के संदर्भ में जांच रिपोर्ट (जवाब) पेश कर निवेदन किया कि हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा पेश मौका जांच रिपोर्ट अनुसार रेकर्ड में दर्ज रकबा एवं भू–नक्शा में नक्शे की आकृति का रकबा तथा मौके पर कब्जा काश्त रकबा में भिन्नता आ रही है अतः रेकर्ड एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार खसरा संख्या 1587, 2925 / 2165, 2926 / 2165, 2927 / 2165 की तरमीम दुरूस्ती की जाती है तो राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नही होता है तथा अप्रार्थीगण ने अपने साक्ष्य सबूतों से या दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं किया है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार सांचौर क्रमांक / भू.अ. / न्या.जां. / 2026 / 1145 दिनांक 27.03.2026 की जांच रिपोर्ट (जवाब) से यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबा एवं भू–नक्शा में नक्शे की आकृति का रकबा तथा मौके पर कब्जा काश्त रकबा में भिन्नता होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

:– आदेश –:

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा हरियाली के पूर्व खसरा संख्या 1587 रकबा 8.93 हैक्टेयर में से रकबा 6.17 हैक्टेयर भूमि वर्तमान खातेदृारान् द्वारा खरीद करने पर उक्त खरीदसुदा आराजी का तरमीम की जाकर मूल खसरा संख्या 1587 व नवीन खसरा संख्या 2927 / 2165, 2926 / 2165, 2925 / 2165 नवसृजित किये गये को लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक हरियाली की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.03.2026 के अनुसार तरमीम की जाकर लट्ठा ट्रैस व ऑनलाईन अनुपातिक नक्शा व रकबा की आकृति अनुसार राजस्व रेकर्ड व नक्शे में शुद्वि की जाकर तरमीम दुरूस्ती की जावें। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन् करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 5/6/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)सांचौर जिला जालोर (राज.)

क्रमांक:-भू.अ./न्या.जां./2026/ 1145 दिनांक 27/3/2026

प्रेषिती:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

सांचौर

विषय :- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर के मुक़दमा नंबर 2026/63 अनवान दौलतसिंह बनाम राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचोर वगैरह में जाँच रिपोर्ट भेजने बाबत |

प्रसंग :-श्रीमानजी के निर्देश न्यायालय लंबित प्रकरण के जाँच रिपोर्ट के सन्दर्भ में |

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर के मुक़दमा नंबर 2026/63 अनवान दौलतसिंह बनाम राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचोर वगैरह में जाँच रिपोर्ट भेजने बाबत निरीक्षक (भू.अ.) अरणाय एवं पटवारी हल्का हरियाली से मौका एवं रिकार्ड जाँच रिपोर्ट ली गई जाँच रिपोर्ट अनुसार मौजा हरियाली के खसरा नंबर 1542,1584,1585,1586,1587,1588 कुल रकबा 12.85 हैक्टर की मौका जाँच रिकार्ड जाँच अनुसार 1587 रकबा 8.93 हैक्टर आराजी का नए एवं पुराने राजस्व रेकर्ड की तुलनात्मक जाँच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र संलग्न प्रस्तुत नक्शा लट्ठा एवं राजस्व रेकर्ड की जाँच करने पर पाया कि खातेदार देशांतर कँवर पुत्री जयसिंह जाति राजपूत द्वारा अपना खातेदारी खेत खसरा नंबर 1542 रकबा 3.35 हैक्टर तथा खसरा नंबर 1587 रकबा 8.93 हैक्टर में से 6.17 हैक्टर (नवीन खसरा नंबर 2165/1587 सृजित हुए) भूमि बाघसिंह हरिसिंह पि. बेचरसिंह तनेसिंह वल्द रिड़मलसिंह 1/3 हिस्सा,जबरसिंह खींवसिंह पि.लालसिंह 1/3 हिस्सा,दौलतसिंह कर्णसिंह पि. मगसिंह 1/3 हिस्सा जाति राजपूत निवासी हरियाली को बेचान किया | खसरा नंबर 1587 रकबा 8.93 हैक्टर में से नवीन खसरा नंबर 2165/1587 रकबा 6.17 हैक्टर की तरमीम करते वक्त लिपिकीय भूल से कम रकबे की तरमीम होने से रिकार्ड अशुद्धि हुई है खसरा नंबर 2165/1587 रकबा 6.17 हैक्टर का बंटवारा करने पर नक़्शे में उतरोतर तरमीम होकर खसरा नंबर 2925/2165, 2926/2165,2927/2165 सृजित हुए लेकिन मौका जाँच रिपोर्ट अनुसार रेकर्ड में दर्ज रकबा एवं भू नक्शा में नक़्शे की आकृति का रकबा तथा मौके पर कब्ज़ा काश्त रकबा में भिन्नता आ रही है |

अतः रेकर्ड एवं मौके पर कब्ज़ा काश्त अनुसार खसरा नंबर 1587, 2925/2165, 2926/2165, 2927/2165 की तरमीम दुरुस्ती की जाती है तो राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है | नियमानुसार नक्शा दुरुस्ती हेतु निरीक्षक (भू.अ.)अरणाय एवं पटवारी हल्का हरियाली से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संलग्न पेश है |

तहसीलदार (भू.अ.) सांचौर

मौका जांच रिपोर्ट

आज दिनांक 23-03-2026 को श्रीमान् जी के आदेश क्रमांक /भू.अ./ 2026/998-999 दिनांक 18-03-2026 की पालना में पटवारी, पटवार हल्का हरियाली के साथ श्रीमान् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महो. के कोर्ट में दर्ज वाद अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. के तहत प्रपत्र-पत्र में दर्ज बिन्दुओं की रेकर्ड एवं मौके की जांच की गयी जो बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

(1) यह है कि खातेदार ईशान्तरकंवर पुत्री जयसिंह के नाम जमाबन्दी संवत् 2058-61 के खाता नं. 192 के अनुसार ख.नं. 1542, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588 कुल रकबा 12.85 हैक्टर की खातेदारी दर्ज थी।

(2) यह है कि ना०क० सं० 167 दिनांक 9-11-2001 के जरिये ईशान्त कंवर द्वारा ख.नं. 1542, रकबा 3.35 सम्पूर्ण, ख.नं. 1588 रकबा 0.40 हे. में से 0.35 हैक्टर व ख.नं. 1587 रकबा 8.93 हे. में से 6.17 हैक्टर जिसका नवीन ख.नं. 2165/1587 सर्जित हुआ तथा कुल रकबा 9.87 हे. का बेचान बाघसिंह, हरिसिंह पि० केसरसिंह, तेजसिंह वल्द रिड़मलसिंह, दुर्जनसिंह खीवसिंह पि० लालसिंह व दौलतसिंह करणसिंह पि० मगसिंह व कौम राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज की गयी।

(3) यह है कि कब्जा तरमीम लट्ठा में ख.नं. 1587 रकबा 8.93 हैक्टर में से खरीददार के नवीन ख.नं. 2165/1587 रकबा 6.17 की मौके अनुसार व रकबा अनुसार तरमीम करनी थी परन्तु 6.17 हे. के बजाय लगभग 0.56 हैक्टर की कम तरमीम की गई तथा वही तरमीम वर्तमान में ऑनलाईन नक्शे में भी हो गयी है। जिसको सफल जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार 6.17 हैक्टर की जमाबन्दी संवत् 2058-61 के ख.नं. 2165/1587 की ऑनलाईन नक्शे अनुरूप तरमीम की दुरस्ती की जानी उचित है।

(4) वर्तमान जमाबन्दी अनुरूप ख.नं. 2165/1587 का सह खातेदारों के बंटवारा होने से नवीन ख.नं. 2927/2165, 2926/2165 व 2925/2165 सर्जित हुए हैं का आनुपातिक नक्शा अनुरूप रकबा की तरमीम सही करना उचित है।

मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार की गयी।

23/03/2026
आम्बाराम
पटवारी (भू.अ.) हरियाली
तहसील-सांचौर

23/03/2026
निरीक्षक [illegible]